न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 78/2012

1 श्रीमती गिनड़ी देवी आयु 58 वर्ष पत्नी गुरूदयाल जाति कुमावत पेशा खेती निवासी कुम्हारो का बास तन भापर उप तहसील सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र उर्फ राजकुमारा।
2 गीगराज उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल।
3 नरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल।
4 रोहिताश कुमार पुत्र रामजीलाल निवासीगण सुरजगढ़ उप तहसील सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 श्रीमती शांति देवी आयु 66 वर्ष पुत्री मदनलाल पत्नी छोटेलाल जाति कुम्हार निवासी सुरजगढ़ हाल निवासी ढ़ाणी ब्राहमण उप तहसील सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
6 श्रीमती लाडा देवी आयु 57 वर्ष पुत्री मदनलाल पत्नी हरिराम जाति कुम्हार निवासी सुरजगढ़ हाल निवासी मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
7 श्रीमती संतरा देवी आयु 48 वर्ष पुत्री मदनलाल पत्नी रोहिताश जाति कुम्हार निवासी सुरजगढ़ हाल निवासी अडुका तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
8 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये नायब तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी राजेन्द्र आदि बनाम ओमप्रकाश आदि दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा दावा 424/2007

उपस्थिति :

1. श्री संदीप, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा मुकदमा संख्या 424/2007 मे पारित निर्णय दिनांक 21.03.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडें नम्बर 1 से 4 वादीगण ने अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 5 से 8 के खिलाफ जमीन खसरा नम्बर 9 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 14 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.90 खसरा नम्बर 149 रकबा .037 हैक्टयेर कुल किता 4 कुल रकबा 3.29 हैक्टेयर वाके कस्बा सुरजगढ़ के बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दावे में दिनांक 21.03.2012 को निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4/वादीगण का प्रत्येक 1/5 हिस्से का व रेस्पोडेंट नम्बर 5/प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (राजस्थान)

को अपास्त करवाने के लिये अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अदालत मातहत की आदेशिका में यह कही भी दर्ज नही है कि अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 का समन जारी किया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका में यह भी दर्ज नही कि अपीलांट/प्रतिवादीगण 2 पर दावे के समन की तामील हुई हो। दावे की आदेशिका में यह भी दर्ज नही है कि अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 के खिलाफ एक्स पार्टी हुई हो। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की तलबी के लिये समन रेस्पोडेंट 1 से 4 वादीगण ने पेश किया हो व तलबी जारी हुई हो व तामील हुई हो ऐसा कोई थी उल्लेख आदेशिका में नहीं है। अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 पर दावे के समन की तामील हुये बिना ही योग्य अदालत मातहत ने निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 को दावे की जानकारी नही हुई और न ही अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 पर दावे के समन की तामील हुई व नही योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 पर दावे के समन की तामील होना व न समन जारी होना माना इसके बावजूद भी बिना जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिये ही निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 ने घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा का दावा किया जिसमें केवल घोषणा का अनुतोष ही प्रदान किया गया। अपीलांट के हक में बयनामें को शून्य होना नही माना। दावे में विभाजन, कब्जे का अनुतोष चाहा, कब्जे के बाबत बिन्दु तय नही किया गया कब्जे का कथन भी दावे में नही किया गया इस कारण कब्जे के अभाव मे केवल घोषणा का दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2012 की जानकारी अपीलांट को पहले नही थी और न हो सकती थी क्योंकि दावे के समन अपीलांट को नही मिले और न अपीलांट पर दावे के समन की तामील हुई आदेशिका में भी अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश नही है व अपीलांट की तामील होने का आदेश भी नही है। इस प्रकार पहले अपीलांट का निर्णय व डिक्री जानकारी नही थी व न उक्त कारण से हो सकती थी। जानकारी के राजे से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ में पेश है। जिसका फायदा दिया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में डी.एन.जे. 2019 (एस. सी.) पेज 716,आर.एल.डब्ल्यू 1994 (1) पेज 547, आर.एल.डब्ल्यू 1992 (2) पेज 233 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा देरी का दिन प्रतिदिन का कारण स्पष्ट नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका में यह कही भी दर्ज नही है कि अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 का समन जारी किया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका में यह भी दर्ज नही कि अपीलांट/प्रतिवादीगण 2 पर दावे के समन की तामील हुई हो। दावे की आदेशिका में यह भी दर्ज नही है कि अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 के खिलाफ एक्स पार्टी हुई हो। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की तलबी के लिये समन तलवाना रेस्पोडेंट 1 से 4 वादीगण ने पेश किया हो व तलबी जारी हुई हो व तामील हुई हो ऐसा कोई भी उल्लेख आदेशिका में नहीं है। अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 पर दावे के सम्मन की तामील हुये बिना ही विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है। दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का था जबकि डिक्री में केवल घोषणा का अनुतोष दिया गया है। विभाजन नही किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 2 को दावे की जानकारी नही हुई और न ही अपीलांट /प्रतिवादी नम्बर 2 पर दावे के सम्मन की तामील हुई व नही योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट /प्रतिवादी नम्बर 2 पर दावे के सम्मन की तामील होना व न समन जारी होना माना इसके बावजूद भी बिना जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिये ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2012 की जानकारी अपीलांट को पहले नही थी और न हो सकती थी क्योंकि दावे के सम्मन अपीलांट को नही मिले और न अपीलांट पर दावे के सम्मन की तामील हुई आदेशिका में भी अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश नही है व अपीलांट की तामील होने का आदेश भी नही है। इस प्रकार पहले अपीलांट का निर्णय व डिक्री जानकारी नही थी व न उक्त कारण से हो सकती थी। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर